न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 37/2018 (223 आरटीए) देरामराम वगै. बनाम भंवरराम

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00055)

1 देरामराम पुत्र श्री गेनाराम,
2 पांचाराम पुत्र श्री गेनाराम,
3 जेठाराम पुत्र श्री गेनाराम,
4 बक्साराम पुत्र श्री गेनाराम,
5 मोहनराम पुत्र श्री गेनाराम,
6 करनाराम पुत्र श्री गेनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण कजनाउ खुर्द, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 भंवरराम पुत्र श्री जोधाराम,
2 हजारीराम पुत्र श्री जोधाराम,
3 मदनराम पुत्र श्री जोधाराम,
4 बागाराम पुत्र श्री जोधाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण कजनाउ खुर्द, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
5 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी दिनांक 08.03.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 19/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल।
2 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 10.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के राजस्व वाद सं. 19/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. 1 से 4/वादीगण ने एक दावा बाबत बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम कजनाउ खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी की संयुक्त खातेदारी की कब्जाशुदा जमीन खसरा नं. 213 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया कि विवादग्रस्त जमीन में वादीगण का हिस्सा 2/3 है एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3 है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण को कई बार कहने के बावजूद भी बंटवारा नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में वाद कारण पैदा हुआ है। वादीगण का वाद प्रतिवादीगण को यानी अपीलांट को बगैर सुने बाले-बाले एकपक्षीय आदेश करवारकर बिना कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य कराए निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करवा दिया है जबकि अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया है जबकि वास्तव में अपीलांट का विवादित जमीन पर 2/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्सा वादीगण/रेस्पोडेंट्स का है परंतु रेस्पोडेंट्स ने बिना किसी आदेश के रजिस्टर्ड एडी गलत पते पर तामील करवा कर निर्णय व जैर डिक्री पारित करवाया है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील बिल्कुल गलत, निराधार, विधि के विपरीत,

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पत्रावली पर आए साक्ष्य के विपरीत पारित की है। प्रतिवादी अपीलांट के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड एडी से भेजने का आदेश दिनांक 04.01.2016 को पारित किया था उस आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं ऐसा आदेश बिना हस्ताक्षर के कोई आदेश ही नहीं माना जा सकता है। रेस्पो./अपीलांट के सम्मन तामील रजिस्टर्ड एडी प्राप्त ही नहीं हुए न ही कोई रजिस्टर्ड डाक अपीलांट के पते पर आई मात्र पोस्टमैन या विधि विरुद्ध तरीके से जो तामील बतला कर एक पक्षीय आदेश पारित करवाया है काबिल खारिज है। पत्रावली सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दिया था तत्पश्चात पत्रावली विधिवत रूप से दर्ज होकर पक्षकारों को सूचित करने का कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो./वादीगण का वाद बिना जबाब, बिना तनकीयात, बिना साक्ष्य सबूत वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया है। अपील के तथ्यों के समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अपीलांट के अधिवक्ता ने आर.आर.डी.फरवरी 2006 पेज 42, आर.आर.डी. 14.06.2009 पेज 378, आर.आर.डी. 14.10.2012 पेज 706 पेश किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पर्याप्त रूप से तामील कराई जा चुकी है। अपीलांट को प्रकरण के बारे में पूर्ण जानकारी होने के कारण आदेश 9 नियम 13 के परंतुक के अनुसार जानकारी होने पर तामील पर्याप्त मानी जावेगी। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सैक्शन 140 के अनुसार जमाबंदी में अंकित हिस्से के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट द्वारा खाता विभाजन में अड़ंगा लगाने के लिए आधारहीन अपील पेश कर दी है जिसका उन्हें किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अपीलांट इस न्यायालय में उपस्थित है लेकिन अपील के साथ या बहस के समय भी ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे वादग्रस्त भूमि में उनका हिस्सा 2/3 हो। अपीलांट के अधिवक्ता ने जो नजीरें पेश की है वे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि नजीरों में वर्णित प्रकरणों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः अपील खारिज

करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस अपील में अपीलांट का मुख्य बिंदु यह है कि अपीलांट को तामील नहीं हुई है व एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है। दूसरा बिंदु यह है कि मैरिट पर दावे का निर्णय बिना जबाब, तनकी व साक्ष्य के किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं हैं।

9 अपीलांट को प्रोपर तामील हुई है या नहीं एवं पारित निर्णय एक पक्षीय बगैर सुने पारित किया है या नहीं की पुष्ठि के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस व रजिस्टर्ड डाक की रसीद के अनुसार अपीलांट को दिनांक 06.01.2016 को सम्मन जारी किए गए। तथा दिनांक 05.02.2016 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट का तर्क है कि दिनांक 04.01.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए यह सम्मन गलत जारी हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सम्मन जारी होने के बाद अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से उनके सही पते पर सम्मन भेजे गए हैं व एक माह की अवधि के बाद नियत तारीख 05.02.2016 को उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही सही की गई है। दिनांक 04.01.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं लेकिन दिनांक 05.02.2016 की आदेशिका में 04.01.2016 की कार्यवाही की पुष्ठि की गई है व 05.02.2016 की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित हैं अतः अपीलांट की आपत्ति केवल तकनीकी होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः इस प्रकरण में रेस्पोडेंट की बहस से हम पूर्णतया सहमत हैं कि यदि अपीलांट की जानकारी में हैं तो तामील पर्याप्त मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में पारित प्राथमिक डिक्री को बिना अवसर दिए या बिना सुनवाई के एक पक्षीय नहीं माना जा सकता।

दूसरा बिंदु यह है कि मैरिट पर दावे का निर्णय बिना जबाब, तनकी व

साक्ष्य के किया गया है जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं हैं। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2058–61 का अवलोकन किया जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/3 ही दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के सैक्शन 140 के अनुसार जमाबंदी में अंकित इन्द्राज को तब तक सही माना जावेगा जब तक कि उन्हें गलत प्रमाणित नहीं कर दिया जावे। अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज अपील के साथ या बहस के समय पेश नहीं किया है अतः अपीलांट का यह तर्क कि वादग्रस्त भूमि में उसका हिस्सा 2/3 है स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं केवल तकनीकी आधार पर बंटवारे के प्रकरणों में प्राथमिक डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2018 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

10/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00055)

अपील संख्या 37/2018

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.देरामराम पुत्र श्री गेनाराम 2.पांचाराम पुत्र श्री गेनाराम 3.जेठाराम पुत्र श्री गेनाराम 4.बक्साराम पुत्र श्री गेनाराम 5.मोहनराम पुत्र श्री गेनाराम 6.करनाराम पुत्र श्री गेनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण कजनाउ खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।	बनाम	1.भंवरराम पुत्र श्री जोधाराम 2.हजारीराम पुत्र श्री जोधाराम 3.मदनराम पुत्र श्री जोधाराम 4.बागाराम पुत्र श्री जोधाराम सभी जातियान जाट,निवासीगण कजानउ खुर्द, तहसील बावड़ी,जिला जोधपुर। 5.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,बावडी दिनांक 8/3/2018 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 19/2015

यह अपील बतारीख 10/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया एवं रेस्पोडेंट 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,बावडी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8/3/2018 यथावत रखे जाते है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10/8/2018 को जारी हो किया गया।

10/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान	/	1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	/

10/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर